UPGK010048432026

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2092/2026</u>

अंकुर सिंह पुत्र स्व० मोलहू सिंह, निवासी- उसका, थाना- चिलुआताल, जिला- गोरखपुर। हाल मुकाम- म०नं० 839 ई, राजेन्द्र नगर पूर्वी (ललितापुरम), थाना- गोरखनाथ, जिला- गोरखपुर।

.......................**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 247/2026
अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2),
317(2), 204, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S.
थाना- चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर।

<u>दिनांक- 01.06.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 247/2026, अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S., थाना- चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12/03/2026 को वादी के जीजा मुकेश मीणा, उनका भाई ब्रजमोहन मीणा व दलाल बन्टी गुर्जर तीनों लोग दुल्हन लेने बिहार गये थे व अपने साथ दो लाख पचास हजार रूपया लेकर गये थे। वहां जाकर ब्रजमोहन मीणा की शादी भी करवा दी, जिसका फोटो वादी के वाट्सएप पर भी डाल दिया गया। दिनांक 13.03.2026 को वादी के जीजा मुकेश मीणा के नंबर से फोन आया कि दुल्हन व दलाल पैसे लेकर भाग गये है तथा उसे व उसके भाई को बंधक बना लिये है। एक लाख रूपये मेरे नंबर पर डाल दो तो ये लोग उसे छोड़ देंगे। एक लाख रूपये की मांग वादी के जीजा के नंबर से कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी बिलकुल निर्दोष व बेकसूर है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध

नहीं किया है। उक्त घटना की सूचना थाना अनन्तपुर जिला कोटा, राजस्थान में अपराध संख्या- 0/2026 पर दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी प्रथम सूचना में नामजद नहीं बनाया गया है। विवेचना के दौरान उक्त मुकदमा अ०सं०- 247/2026 थाना चिलुआताल जिला गोरखपुर में पंजीकृत हुई है। प्रार्थी को स्थानीय पुलिस दिनांक 08.04.2026 को समय लगभग 2 बजे दोपहर बलुआ चिलुआताल के पास से पकड़ी थी। मुकदमा में बल देने के लिये दलालो के साथ थानाध्यक्ष थाना चिलुआताल प्रार्थी के घर राजेन्द्र नगर गोरखपुर आये और दलाल के माध्यम से प्रार्थी की माँ से पैसे की मांग की और कहे कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो अंकुर सिंह को गोली मार दिया जायेगा। उसकी पत्नी विधवा हो जायेगी और तुम पुत्र विहिन हो जाओगी। प्रार्थी के पिता स्व. मोलहु सिंह PWD में सरकारी कर्मचारी थे और मरने से पहले प्रार्थी के माँ को जीवन यापन के लिए पैसे बैंक में फिक्स करा दिये थे। प्रार्थी की माँ ने दिनांक 09.04.2026 को अपना फिक्स धन जो यूनियन बैंक गोरखपुर में रु.1,06,000/- एक लाख छः हजार रुपये निकाल कर दलालों के माध्यम से 1,00,000/- एक लाख रुपया थानाध्यक्ष थाना चिलुआताल को दिया और थानाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि अंकुर सिंह का नाम मुकदमें से निकाल दिया जायेगा। प्रार्थी के माँ के द्वारा दिये गये 1,00,000/- एक लाख रुपये को प्रार्थी के पास से 95,000/- रूपये की बरामदगी दिखाया गया। स्थानीय थाने की पुलिस 4 दिन थाने पर बैठाने के बाद दिनांक 11.04.2026 को फर्जी मुकदमें में जेल भेज दिया गया है। तभी से प्रार्थी जेल में निरुद्ध है। प्रार्थी ने किसी को बंधक नहीं बनाया था और न ही किसी प्रकार के पैसे की मांग की थी। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र के अधीन वादी मुकदमा के जीजा एवं उनके भाई को सदोष परिरोध में रखकर उनके साथ लूट का प्रयत्न किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आपराधिक षडयंत्र के अधीन वादी मुकदमा के जीजा व उनके भाई का सदोष परिरोध कर उनके साथ छल द्वारा प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करते हुए लूट का प्रयत्न करने का अभियोग है। केस डायरी में अंकित पीडित साक्षी मुकेश मीणा के बयान के अनुसार सहअभियुक्त द्वारा उसकी शादी

नीलम से कराने के बाद आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए उस पर लड़की खरीदने का आरोप लगाकर मारा पीटा गया तथा एक कमरे में ले जाकर बंधक बना दिया गया और उनसे ढाई लाख रूपये भी छीन लिये गये। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ एक ही गाड़ी से गिरफ्तार किया गया है एवं उनके कब्जे से उ०प्र० पुलिस के फर्जी परिचय पत्र भी मिले है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से अभियुक्त की मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शित होती है। मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अंकुर सिंह द्वारा मु०अ०सं०- 247/2026, अंतर्गत धारा- 308(5), 122(2), 127(2), 61(2), 317(2), 204, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) B.N.S., थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-01.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.01 16:16:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court